संख्या-5-1091/38-6-14-6एसआरएलएम/2014

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-10 दिसम्बर, 2014**

विषय- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आजीविका स्किल्स की विशेष परियोजना आई.सी.ए.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0 हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष शार्टफाल के रूप में मैंचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-3095/एनआरएलएम/लेखा/2014-15, दिनांक-07.10.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-17036/55/2013-आजीविका स्किल्स, दिनांक-24.03.2014 द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत आई.सी.ए.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रदेश के 06 जनपदों(इटावा, एटा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, मैनुपरी एवं अलीगढ) के बी0पी0एल0 परिवार के युवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण की विशेष परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत करते हुये रू0 4,99,99,692.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप मे 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गयी है। केन्द्रांश की धनराशि चार किश्तों मे 25:50:15:10 के अनुपात में स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-17036/55/2013-आजीविका स्किल्स, दिनांक-24.03.2014 द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 93,74,942.00 अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 31,24,980.00 सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में बनता है। अत: केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 31,24,980.00(रूपये इक्तीस लाख चौबीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) मैचिंग राज्यांश की धनराशि अनुदान सं0-13 सामान्य मद के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत हुई बजट व्यवस्था से आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 31,24,980.00(रूपये इक्तीस लाख चौबीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही आई.सी.ए.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमाण-पत्र भारत सरकार को कार्यदायी संस्था एवं सी.ई.ओ. नाबकान्स द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय द्वितीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जाएगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेश, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 तथा 22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.75/रा.25-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1120/दस-2014, दिनांक-08.12.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1091(1)/38-6-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉं एवं पंचायतें, 9वॉं तल, इन्दिर भवन, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
11. राज्य योजना आयोग-1/2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in